

*The Lok Sabha reassembled after lunch at Fifteen minutes past Fourteen of the Clock.*

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE in the Chair]

**CINE WORKERS WELFARE FUND BILL—Contd.**

MR. CHAIRMAN: Now I shall put to the vote of the House the consideration motion in respect of Cine-workers Welfare Fund Bill. The question is:

“That the Bill to provide for the financing of activities to promote the welfare of certain cine-workers, be taken into consideration.”

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

**Clause 2— (Definitions)**

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pail): I beg to move,

Page 1, line 14,

for “five feature films”

Substitute “two feature films”  
(6)

Page 1, lines 19 and 20,—

for “each of any five feature films,”

substitute “any of the two feature films,” (7)

Page 1, line 23,—

for “five thousand rupees”  
substitute—

“twenty thousand rupees”  
(8).

It says on page 1 of the Bill as follows:

“Cine-worker” means an individual—

“(i) who has been employed, directly or through any contractor or in any other manner, in

or in connection with the production of not less than five feature films to work as an artiste (including actor, musician or dancer) or to do any work, skilled, unskilled, manual, supervisory, technical, artistic or otherwise; and

(ii) whose remuneration with respect to such employment in or in connection with the production of each of any five feature films,”

I say I have not understood the words “of each of any five feature films”. This does not carry any sense. My amendment is as follows:

for “each of any five feature films”, substitute “any of the two feature films.”

Then I said, for “five thousand rupees” substitute “twenty thousand rupees”. Since the hon. Minister has not accepted it, I do not want to press it.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): I cannot really help the learned member if the English Language is not understood—it is not his language nor mine—howsoever simple it may be. Now it clearly means that in respect of employment, when an employee is to be covered by the benefit of this Act, then he should be connected with the production of each of any five feature films, if he has acted or worked in five feature films. Each means out of five, each of any five feature films if he has worked. Each relates to remuneration which follows.

SHRI MOOL CHAND DAGA: He should produce two feature films...

SHRI VASANT SATHE: First you understand ‘five’.

MR. CHAIRMAN: Let the Minister finish his reply. If you want any clarification, you can ask for it.

**SHRI VASANT SATHE:** The first thing is, he must work in five feature films. If he has worked in two feature films, he will not be entitled. He must work in five feature films. The idea is, what is the remuneration? "Where such remuneration has been by way of monthly wages, a sum of Rs. 1,000 per month and where such remuneration is by way of lump sum a sum of Rs. 5,000. Now, the relation is—let us see—the remuneration with respect to such employment paid to him in connection with the production of different feature films has not exceeded Rs. 3,000 together, for four films, he works in four films, and he gets Rs. 3,000 together, for four films, he will not be covered. You see, the idea is that, by way of abundant caution, it is in 'each of the film' his remuneration should not exceed Rs. 1,000. That is the simple meaning. It may not be, or you may perhaps say it is not happily worded, etc., etc. The meaning is clear. I do not think that there is any confusion at all.

**MR. CHAIRMAN:** Mr. Daga, do you press your amendment?

**SHRI MOOL CHAND DAGA:** I want to withdraw my amendment.

**MR. CHAIRMAN:** Has the Member, the leave of the House to withdraw Amendments Nos. 6, 7 and 8 to Clause 2?

**SOME HON. MEMBERS:** Yes. Amendment Nos. 6, 7 and 8 were, by leave, withdrawn.

**MR. CHAIRMAN:** The question is:

*"That Clause 2, stand part of the Bill."*

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

**Clause 3—(Cine Workers Welfare Fund).**

**MR. CHAIRMAN:** Mr. Daga, are you moving your amendment?

**SHRI MOOL CHAND DAGA:** I beg to move:

Page 2, lines 16 to 18,—

*Omit "such amounts as the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, provide from out of" (9)*

**MR. CHAIRMAN:** Yes, Mr. Minister.

**SHRI VASANT SATHE:** Law means, even the law which you have passed yesterday, that will apply here.

**MR. CHAIRMAN:** Are you withdrawing, Mr. Daga?

**SHRI MOOL CHAND DAGA:** I want to withdraw my amendment.

**MR. CHAIRMAN:** Has the Member, the leave of the House to withdraw Amendment No. 9 to Clause 3?

**SOME HON. MEMBERS:** Yes. Amendment No. 9 was, by leave, withdrawn.

**MR. CHAIRMAN:** The question is:

*"That Clause 3 stand part of the Bill."*

*The Motion was adopted.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

**MR. CHAIRMAN:** Now, Clause 4. Shri Ramavatar Shastri.

**SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna):** I beg to move:

**Clause 4—Application of Fund**  
Page 2, line 32,—

*omit "or loans" (12)*

Page 2, line 32,—

*after "indigent" insert—*

*"sick and physically disabled" (13)*

[Shri Ramavatar Shastri]

सभापति जी, धारा 4 में मेरे दो संशोधन हैं।

धारा 4 के (ख) में कहा गया है— मेरा तात्पर्य मूल विधेयक से है—कि निर्धन सिनेमा कर्मकारों को अनुदान या उधार के रूप में सहायता की व्यवस्था करेंगे। मेरा संशोधन यह है कि “निर्धन” के बाद “बीमार एवं शारीरिक रूप से असमर्थ” इन शब्दों को भी जोड़ा जाय। अगर इनको नहीं जोड़ेंगे तो हो सकता है कि ऐसे कलाकार मिलें जो शारीरिक रूप से बिलकुल इनवेलिड हो या बहुत बीमार हों, ऐसे लोगों को आप केवल “गरीब” कह कर इसके तहत उनकी मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिये यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। गरीब की मदद तो करेंगे ही, साथ ही यदि कोई कलाकार बहुत ही गम्भीर बीमार हो या शारीरिक रूप से बिलकुल असमर्थ हो, कोई काम करने की स्थिति में न हो ऐसे लोगों की भी मदद की जा सके।

इस धारा में दूसरी बात आपने “उधार” के बारे में कही है कि उसको लोन दिया जायगा। प्रश्न यह है कि जब वह गरीब है असमर्थ है या बीमार है तो वह लोन कौन कौन से कर्ज देगा। लोन की अदायगी में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं, आप जानते हैं। इसलिये लोन शब्द रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को रुपये की जरूरत हो तो आप उसे अनुदान दीजिये, अनुदान देना ज्यादा अच्छा है तथा उसके दिमाग पर उसकी वापसी का बोझ भी नहीं पड़ेगा, कर्ज के चुकाने की चिन्ता से मुक्त रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप उस शब्द को हटा दीजिये तथा “बीमार एवं शारीरिक रूप से असमर्थ” शब्दों को जोड़ दिया जाय। इस तरह से आप उसकी ज्यादा मदद कर सकेंगे।

श्री वसंत साठे : सभापति जी, रामावतार शास्त्री जी जो कह रहे हैं यदि उसे मान लिया जाय तो इस सारे बिल का जो मूल उद्देश्य है,

उसको ठेस लग सकती है। उदाहरणार्थ, एक आदिमी बीमार है लेकिन लखपति है, एक आदिमी अंध है लेकिन लखपति है, तो क्या आप यह चाहेंगे कि इस बिल के तहत उन्हें भी सहायता दी जाय।

श्री रामावतार शास्त्री : : गरीब शब्द साथ है।

श्री वसंत साठे : हमने “इण्डिजेंट स्कॅमस्टान्मेज” कहा है, उसमें कोई भी हो, बीमार हो, अंध हो, सब कवर हो जाते हैं, लेकिन यदि इसके साथ “एण्ड” जोड़ेंगे तो और यह कहेंगे कि दोनों होने चाहिये इण्डिजेंट भी होना चाहिये, बीमार भी होना चाहिये, अंध भी होना चाहिये, तो इसमें यह दिक्कत आयेगी कि इण्डिजेंट भले ही न हो, बीमार हो, लेकिन लखपति हो तो उसको भी देना पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : इसमें साधारण लोग भी आ सकते हैं।

श्री वसंत साठे : इसमें सारा कवर हो जाता है। प्रश्न यह है कि हमें किसकी मदद करनी है ? जो किसी कारण से विपन्नावस्था में हो, इण्डिजेंट का मतलब विपन्नावस्था है, उसकी मदद करेंगे।

जहां तक लोन की बात है वह एनेबिलिग क्लाज है, लोन की माफत दिया जाय। लोन की तुलना क्या है ? आज कल बहुत से लोग सेल्फ-एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, छोटी दुकान करना चाहते हैं या कोई छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, वे भीख नहीं मांगना चाहते, ग्रान्ट नहीं चाहते, वह कहते हैं आप थोड़ा पैसा दे दीजिये ताकि उससे मैं अपना व्यापार कर सकूँ और उसकी आमदनी से आपका पैसा वापस कर दूँगा। उसका स्वाभिमान कायम रखने के लिये यह प्रावीजन यहां रखा गया है। इसमें मेरे बयान से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

MR. CHAIRMAN: Mr. Shastri, are you withdrawing your amendments?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: No. I am pressing them.

श्री बसंत साठे : रामावतार शास्त्री जी तो बहुत संभलदार हैं, इतनी साफ बात कहने के बाद भी नामसझी की बात क्यों कह रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : नामसझी की बात नहीं कह रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendments Nos. 12 and 13 to the vote of the House.

*Amendments No. 12 and 13 were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

*Clause—5—(Advisory Committees)*

SHRI RAMAVATAR SHASTRI:

I beg to move:

Page 3,—

for lines 7 and 8, substitute—

“(3) the Chairman of each Advisory Committee shall be elected by its members.” (14).

सभापति महोदय, धारा 5 की उप-धारा (3) को देखा जाए तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक सलाहकार समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी मेरा कहना यह है कि हर बात केन्द्रीय सरकार ही क्यों करे, यह बात समझ में नहीं आती। आप मेम्बरों पर कुछ भरोंसा तो कीजिए और मेरा संशोधन यह है कि अध्यक्ष का चुनाव होते दीजिए। जितने मेम्बर हों, वे मिल कर अपने में से जिस को बेहतर समझें

हर तरीके से, उसको वे अध्यक्ष बना दें। आप मेम्बरों को तो नामीनेट करेंगे ही और अध्यक्ष कीभी नामीनेट किया, तो फिर जन-तांत्रिक प्रणाली का क्या होगा। धीरे-धीरे आप सभी को खत्म कर दीजिएगा, यह बात समझ में नहीं आती। आप अध्यक्ष को चुनिये, आप भी तो चुन कर ही यहाँ पर आते हैं और किसी ने आपको नामीनेट कर के यहाँ नहीं भेजा है। कोई कमेटी है और उसका अध्यक्ष भी आप नामीनेट कर दीजिएगा, आप अपने समर्थक को ही नामीनेट करेंगे और इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यह डंडा हम आपको नहीं देना चाहते हैं।

श्री बसंत साठे : डंडा ?

श्री रामावतार शास्त्री : यह डंडा ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस समिति का जो अध्यक्ष है, वह चुन कर आना चाहिए ताकि समिति निश्चित होकर काम करे। मेम्बर अपने में से ही अध्यक्ष को चुनें और मेम्बरों को तो आप ही नामीनेट करेंगे। जब ऐसा आप कर रहे हैं, तो उन मेम्बरों को अध्यक्ष चुनने का अधिकार जरूर दीजिए वे अध्यक्ष को स्वयं चुन सकें। ऐसा मेरा संशोधन है। आप ऊपर से अध्यक्ष को लादिये मत, यही मेरा संशोधन है।

श्री बसंत साठे : इसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि सलाहकार समिति कोई स्टेटूटरी बॉडी तो है नहीं, जिसे बहुत बड़े अधिकार प्राप्त हों। मिनिस्ट्री फंड चलाने वाली है और इसके लिए उसको सलाह देने की बात है। कल को आप यह भी कहेंगे कि चीफ जस्टिस का चुनाव जजेज करें, तो यह बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिस तरह की प्रणाली आप के मन में है, वहाँ इस तरह से होता होगा, तो मुझे नहीं मालूम लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि फंड तो हमें चलाना है, इस मिनिस्ट्री को चलाना है और इसके लिए हम केवल सलाहकार चाहते हैं। हर जगह चुनाववाजी करा कर आपस में तू-तू, मैं-मैं और



[ श्री वसंत साठे ]

झगड़ा करने के काम में वे लग जाएंगे, तो हमको सलाह कहां से मिलेगी और शास्त्री जी वहां चले गये तो हो गया सलाहकार समिति का काम। इसलिए मैं शास्त्री जी के इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

MR. CHAIRMAN: Now I shall put Amendment No. 14 to Clause No. 5 moved by Shri Ramavatar Shastri to vote.

*Amendment No. 14 was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 5 stands part of the Bill”.

*The motion was adopted.*

*Clause 5 was added to the Bill*

**Clause 6—(Central Advisory Committee)**

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 3,—

for lines 21 and 22, substitute—

“(3) The Chairman of the Central Advisory Committee shall be elected by the members of the Advisory Committee.” (15)

इस पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि मैं पहले इस तरह के संशोधन पर बोल चुका हूँ। मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी निर्वाचित होना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Now I shall put Amendment No. 15 to Clause No. 6 moved by Shri Ramavatar Shastri to vote.

*Amendment No. 15 was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That Clause 6 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 6 was added to the Bill.*

*Clauses 7 to 10 were added to the Bill.*

**Clause 11—(Power to make Rules)**

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 4,—

omit lines 17 and 18. (16)

Page 4, line 39,—

for “two thousand” substitute “five thousand” (17)

यह जो संशोधन नं० 16 है इस पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ।

यह जो संशोधन 17 है यह बिल की धारा 11 की उपधारा (3) से सम्बन्धित है। उपधारा (3) में यह बात कही गयी है—

“(3) उपधारा (2) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) के अधीन कोई नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकती है कि उसका भंग जर्मनि से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।”

उपधारा (2) के खण्ड (च); (छ) में यह कहा गया है—

“(च) किसी निर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार को ऐसे आंकड़े और अन्य जानकारी का दिया जाना जिसका धारा 10 के अधीन दिया जाना अपेक्षित हो”

“(छ) वह प्ररूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर आंकड़े और अन्य जानकारी खण्ड (च) के अधीन दी जानी है

अगर इसके मुताबिक वह नहीं दे सकते हैं तो यह जुमानि की व्यवस्था रखी गयी है। मेरा कहना यह है कि यह दो हजार रुपये का जुमाना कम है, इसे पांच हजार रुपये का जुमाना कीजिए। क्योंकि जो लोग आपके आदेश का उल्लंघन करें तो उन्हें सब्त सजा मिलनी चाहिए तभी वे आपके आदेश को मानेंगे

श्री वसन्त साठे : शास्त्री जी, अभी अभी यह बिल आया है, इसे चलने दीजिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग किस तरह से बर्ताव करते हैं, आगे क्या होता है, उसे जरा देखने दीजिए। अगर आगे कोई दिक्कत पैदा होती है तो शास्त्री जी के मुझाव के बारे में विचार कर लेंगे।

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment Nos. 16 and 17, moved by Shri Ramavatar Shastri, to the vote of the House.

*Amendments Nos. 16 and 17 put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill"

*The motion was adopted.*

*Clause 11 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI VASANT SATHE: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed"

*The motion was adopted*

14.38 hrs.

STATEMENT RE: DISCOVERY OF A NEW OIL FIELD BY OIL AND NATURAL GAS COMMISSION

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): Sir, I am glad to announce that the ONGC has discovered oil in a new structure, B-57, located about 35 kms. to the east of the Bombay High field in a water depth of about 75. This field is completely new. The structure was delineated by seismic surveys carried out by the ONGC's seismic vessel *MV Anweshak*. The exploratory well on the field was spudded by the ONGC jack-up rig '*Sagar Samrat*' on 18th May 1981 and oil and gas bearing zones occurred in the depth range 1830—2190 metres. A production test was carried out in one of the intervals within this zone on 3rd September, 1981. Oil has flowed at the rate of about 1030 barrels per day before acidisation, through a half inch choke with a gas oil ration of about 150 and API gravity of about 40. Production testing in the other intervals is being taken up.

The B-57 field has an areal extent of 80 sq. kms. The prospective horizons lie in the Paleogene carbonate reservoir. It will be necessary to drill a few more wells to assess the production potential of this field.

14.40 hrs.

MARITIME ZONES OF INDIA (REGULATION OF FISHING BY FOREIGN VESSELS) BILL

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (REGULATION OF FISHING BY AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the regulation of fishing by foreign